पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण 12, 1944
बुधवारः 03 अगस्त 2022

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के लिए शक्तियों की चिकित्सा अनुसूची (एमएसपी-2022) में संशोधन को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को बढ़ाते हुए शक्तियों की चिकित्सा अनुसूची 2022 (एमएसपी-2022) को मंजूरी दी है। एमएसपी- 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा 01 अगस्त 2022 को अधिसूचित किया गया है। मुख्यालयों और निचले स्तर की फॉरमेशनों में पदाधिकारियों को वित्तीय शक्तियों के बढ़े हुए प्रत्यायोजन से सभी स्तरों पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की योजनाएं बनाने और परिचालन संबंधी तैयारी बेहतर होगी। इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग भी होगा।

वित्तीय शक्तियों के संवर्धित प्रत्यायोजन का प्राथमिक उद्देश्य अस्पतालों और उससे नीचे के सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को तत्काल प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए उचित तरीके से मेडिकल स्टोर में प्रयोग हेतु खरीद के लिए सशक्त बनाना और आवश्यक चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना है। इसका उद्देश्य अस्पतालों और फील्ड फॉरमेशनों को सशक्त बनाना और परिचालन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे काम करने में आसानी होगी और स्वास्थ्य देखभाल की डिलीवरी बढ़ेगी।

चिकित्सा सेवाओं के लिए सभी स्तरों पर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि वर्ष 2016 में की गई थी। एमएसपी- 2022 से प्रक्रिया संबंधी देरी में कमी आएगी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और परिचालन दक्षता भी बेहतर होगी।

एमएसपी-2022 के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- फील्ड यूनिटों, अस्पतालों को वित्तीय शक्तियों का अंतरण: स्वास्थ्य देखभाल वितरण की गति और गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जिससे परिचालन संबंधी तैयारी को बढ़ाया जा सके।

- सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों में दो गुना सामान्य वृद्धि और फील्ड फॉरमेशनों को प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण कुछ अनुसूचियों में 3-10 गुना तक वृद्धि।

- नैदानिक अध्ययन, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन: 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप, नैदानिक अध्ययन, अनुसंधान और विकास से संबंधित अनुसूचियों में मौजूदा शक्तियों में तीन गुना तक वृद्धि को स्वीकृति दी गई है।

एबीबी/डीएस